अनुबंध I

1. ग्रामीण शाखाओं और एफएलसी द्वारा संशोधित दृष्टिकोण

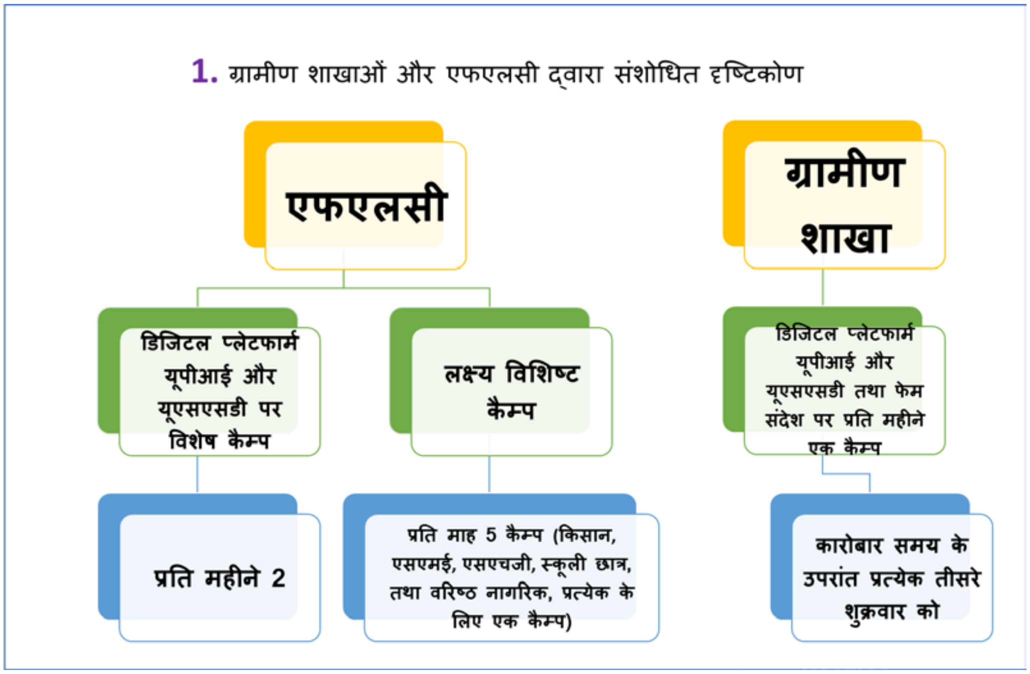

2. विशेष कैम्पों के आयोजन पर एफएलसी हेतु परिचालनात्मक दिशानिर्देश

एफएलसी दो ग्राम पंचायतों (प्रत्येक पाक्षिक में एक) में प्रति महीने दो विशेष कैम्पों का आयोजन करें। एफएलसी यूपीआई और यूएसएसडी प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पोस्टर और फ्लायर्स का उपयोग कर सकते हैं। कैम्पों में यूपीआई और *99# (यूएसएसडी) के प्रदर्शन के माध्यम से प्रक्रिया साक्षरता पर ध्यान केंद्रित किया जाए। लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर और उसका इस्तेमाल करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। प्रत्येक एफएलसी द्वारा अग्रिम तौर पर हरेक तिमाही हेतु कैलेंडर (प्रति तिमाही 6 कैंप) तैयार की जाए तथा उसे संबंधित रिज़र्व बैंक और एसएलबीसी के साथ साझा किया जाए। डीसीसी/बीएलबीसी, “एफएलसी द्वारा विशेष कैम्पों के आयोजन” को डीसीसी/बीएलबीसी की तिमाही बैठक में अलग मुद्दे के रूप में विचार करें तथा सम्मिलित दृष्टिकोण हेतु सरकारी प्राधिकारियों और बैंकरों की सहभागिता को सक्षम करने, कैम्पों के प्रचार तथा एफएलसी द्वारा कैम्पों के आयोजन की नियमित निगरानी एवं ऐसे सार्वजनिक स्थलों की पहचान जहां कैम्प किए जा सके, की दृष्टि से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं।